

क्रमांक:- सं. 24-6(6)पदो./अभि./संस्था/2021/1075-1126 दिनांक :- 01/02/2022  
-: आदेश :-

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं. 24-6(6) पदो./अभि/संस्था/2021/10033-83 दिनांक 01.10.2021 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत कर, आदेश क्रमांक सं.3(5)(2)स्था./मंत्रा/अभि/16/2771-90 जयपुर दिनांक 03.12.2021 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया गया था:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम व वरिष्ठ सहायक पद पर पूर्व पदस्थापित स्थान	चयन वर्ष	पदोन्नति पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदस्थापित स्थान
1	2		3
01.	श्री सुनील कुमार, कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, श्रीगंगानगर	2021-22	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, चूरु

उक्त कार्मिको द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर पदोन्नति परित्याग करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप इन्हे पदोन्नति परित्याग (फोरगो) करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान वरिष्ठ सहायक के पद पर यथावत रखा जाता है।

(चंचल मिश्रा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर ।
3. समस्त उप निदेशक अभियोजन (मु0) सहित ।
4. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन (मु0) सहित ।
5. प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय ।
6. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ अभियोजन निदेशालय ।
7. सम्बन्धित कार्मिक ..... , द्वारा:- सहायक निदेशक अभियोजन, श्रीगंगानगर
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर